(38)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

(5)

150
30-3-13

1- धर्मराजपाठक तनय रामाधार पाठक

Res no 1616-III/13

2- देवराज पाठक तनय रामाधार पाठक

सभी निवासीगण ग्राम मीटी, तहसील गुढ, जिलारीवा म०प्र०

--------- आवेदकगण

अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 30-03-2013

विरुद्ध

1- सुरजवती पत्नीदेवराज पाठक

2-कामना उर्फ सोनू पुत्री देवराज अवयस्क द्वारा संरक्षिका मां सूरजवती

रीडर ऑफ़ कोर्ट राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

3- रामराजपाठक तनयरामलखन पाठक

सभी निवासीग्राम मीटी, तहसील गुढ, जिलारीवाम०प्र०---- अनावेदकगण

F 24.4.13

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35 :3: म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई० बावत पुर्नस्थापन पुनरीक्षणक्र० 466/II/2.. जो दिनांक 4-1-13 को अदम पैरवी मे निरस्त।

मान्यवर

आवेदकगण का आवेदन निम्न हैं:-

1- उक्त निगरानी प्रकरण मे दिनांक 8-2-02 को प्रारम्भिक सुनवाई हुईथीतथा रीवा सर्किट कोर्ट मे सुनवाई मे कोई पेशी आवेदक को नहीमिली थी। आवेदक के अधिवक्ता सर्किट कोर्टरीवा की डायरी का निराकृत प्रकरणकी सूची का अवलोकन दिनांक 28-3-13 को कर रहे थे, तो लिस्ट मे ऐसा अंकित था कि उक्त निगरानी प्रकरण दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 1616–तीन/2013 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2017	आवेदक अधिवक्ता को रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह रेस्टोरेशन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 466–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 4–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण कमांक 466–दो/2002 में पातिर आदेश दिनांक 4–1–13 का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि उक्त निगरानी प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत दिनांक 4–1–13 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह रेस्टोरेशन मान्य किये जाने योग्य नहीं है प्रकरण उक्त दिनांक को अदम पैरवी में खारिज किया गया था। दर्शित परिस्थितियों में यह रेस्टोरेशन आवेदन आधारहीन एवं औचित्यहीन होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	